पत्रांक–2ब० / सड़क–09–01 / 2019 167 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–10/01/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत योजना हेतु देनदारी की राशि ₹255.68956 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार नौ सौ छपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर परिषद्, लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत घाट निर्माण संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 में अंकित राशि आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय के पत्रांक– 461, दिनांक– 28.11.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 7 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹255.68956 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार नौ सौ छपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं० / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, लखीसराय	लखीसराय जिला मुख्यालय से सटे उत्तर में अवस्थित तालाब में घाट निर्माण कार्य।	136/ 29.03.2016	283.32900	27.63944	255.68956

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹255.68956 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार नौ सौ छपन रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹255.68956 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार नौ सौ छपन रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, लखीसराय के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।***

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹255.68956 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार नौ सौ छपन रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/सड़क–09–01/2019 के पृष्ठ सं०–....41....../टि० पर दिनांक–..03/01/2020.... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....42......./टि० पर दिनांक–..09/01/2020.... को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–01/2019 167 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 10/01/2020

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।